राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 182/2000

श्रीमती राज कंवर पत्नी श्री प्रेम सिंह, जाति राजपूत, निवासी पिथला, तहसील एवं जिला जैसलमेर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से राजस्थान सरकार।
2. राजस्थान राजस्व बोर्ड, अजमेर।
3. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर।

----प्रतिवादीगण

के साथ

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 181/2000

श्रीमती सुआ कंवर, पत्नी रतन सिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव ताडाना, तहसील व जिला जैसलमेर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से राजस्थान सरकार।
2. राजस्थान राजस्व बोर्ड, अजमेर।
3. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी के लिए : श्री जे.एल. पुरोहित, वरिष्ठ अधिवक्ता,
श्री मगन सिंह गहलोत,
श्री अनिल कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री आई एस पारीक, एजीसी

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

28/02/2024

1. चूंकि दोनों रिट याचिकाएं एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन्हें इस सामान्य आदेश द्वारा अंतिम रूप से सुना और तय किया जा रहा है।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

3. वर्तमान रिट याचिकाएं आयुक्त (उपनिवेशीकरण), बीकानेर द्वारा पारित दिनांक 24.10.1997 के आदेश तथा राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित दिनांक 30.06.1999 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

4. संक्षेप में, वर्तमान रिट याचिकाओं में उल्लेखित तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता, राजस्थान राज्य के वास्तविक कृषक और निवासी होने के नाते, राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर कॉलोनी क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन और बिक्री) नियम, 1975 (जिसे आगे 'नियम 1975' कहा जाएगा) के नियम 13-ए के अनुसार भूमि आवंटन के लिए आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ताओं को भूमि आवंटन के लिए पात्र मानते हुए, प्रतिवादियों ने दिनांक 29.12.1993 और 25.08.1993 के आदेशों के तहत याचिकाकर्ताओं के आवेदन को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ताओं को क्रमशः 24.5 बीघा और 25 बीघा भूमि आवंटित की।

5. भूमि आवंटन के बाद याचिकाकर्ताओं को उनकी संबंधित भूमि का कब्जा सौंप दिया गया और उन्होंने आवंटित भूमि पर खेती शुरू कर दी। अचानक, याचिकाकर्ताओं को आयुक्त (उपनिवेशीकरण), बीकानेर द्वारा उनकी भूमि का आवंटन रद्द करने के लिए दिनांक 03.07.1996 को नोटिस भेजे गए। प्राप्त नोटिसों का याचिकाकर्ताओं द्वारा विधिवत उत्तर दिया गया, लेकिन विद्वान आयुक्त (उपनिवेशीकरण) ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करते हुए, दिनांक 24.10.1997 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किए गए भूमि के आवंटन को रद्द कर दिया और भूमि को राज्य सरकार के नाम पर दर्ज करने का आदेश दिया और 1975 के नियम के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसे नीलाम करने का निर्देश दिया।

6. आयुक्त (उपनिवेशीकरण) द्वारा पारित दिनांक 24.10.1997 के आदेश को याचिकाकर्ताओं द्वारा राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करके चुनौती

दी गई थी, लेकिन राजस्व बोर्ड ने दिनांक 30.06.1999 के आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करते हुए आयुक्त (उपनिवेशीकरण) द्वारा दिनांक 24.10.1997 को पारित आदेश की पुष्टि की।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे.एल. पुरोहित ने प्रस्तुत किया कि विद्वान आयुक्त (उपनिवेशीकरण) ने दिनांक 24.10.1997 का आदेश पारित करते समय त्रुटि की थी, क्योंकि 1975 के नियम 7 के हटाए गए प्रावधान को लागू कर दिया गया था, हालांकि इसे 15.07.1993 को क़ानून की किताब से हटा दिया गया था। उन्होंने दलील दी कि हटाए गए प्रावधानों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के मामले में आवंटन आदेश अगस्त, 1993 और दिसंबर, 1993 के महीने में किए गए थे और आवंटन आदेश की तारीख पर नियम 7 का प्रावधान क़ानून की किताब में नहीं था, क्योंकि इसे जुलाई, 1993 के महीने में ही हटा दिया गया था। इस प्रकार, आयुक्त (उपनिवेशीकरण), बीकानेर के लिए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किए गए आवंटन को खारिज करते समय हटाए गए प्रावधान का सहारा लेने का कोई कारण नहीं था।

8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि 1975 के नियम 2(1)(xiii) में उल्लिखित 'भूमिहीन व्यक्ति' की परिभाषा का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वह व्यक्ति जो राजस्थान का निवासी है और पेशे से वास्तविक कृषक या वास्तविक कृषि मजदूर है, जिसकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है और जिसके पास भारत में कहीं भी कोई भूमि नहीं है या 25 बीघा से कम भूमि है, उसे 'भूमिहीन व्यक्ति' माना जाएगा, लेकिन इसमें अस्थायी पट्टा खेती पट्टाधारक शामिल नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता 'भूमिहीन व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। विद्वान वकील ने दलील दी कि 1975 के नियम 7 के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को भूमि आवंटन के लिए उचित प्राथमिकता दी गई थी।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि आयुक्त (उपनिवेशीकरण), बीकानेर इस तथ्य पर ध्यान देने में पूरी तरह विफल रहे कि याचिकाकर्ताओं के पास नियमों के अनुसार कोई भूमि नहीं है और सबसे पहले, उनके पतियों के नाम की भूमि को याचिकाकर्ताओं के नाम की भूमि नहीं माना जा सकता है और दूसरी बात, भले ही इसे उनकी संयुक्त स्वामित्व की भूमि माना जाता है, फिर भी रिकॉर्ड पर रखे गए अनुलग्नक 2 दिनांक 13.08.1997 के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के पतियों के पास क्रमशः 9 बीघा और 13 बीघा बारानी भूमि थी, जो सिंचित भूमि के 25 बीघा से कम है, अतः याचिकाकर्ता नियम 1975 में वर्णित भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा के अनुसार भूमिहीन व्यक्ति हैं।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आयुक्त (उपनिवेशीकरण) ने 24.10.1997 को आदेश पारित करते समय तथा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किए गए भूमि आवंटन को अस्वीकार करते समय त्रुटि की थी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, विद्वान राजस्व बोर्ड ने आयुक्त (उपनिवेशीकरण) द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की है, इसलिए विद्वान राजस्व बोर्ड ने भी 1975 के नियम 7 और नियम 2(1)(xiii) की व्याख्या करते समय तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करते समय त्रुटि की है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाए और दिनांक 24.10.1997 और 30.06.1999 के आदेशों को रद्द कर दिया जाए।

11. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री आई.एस. पारीक ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया तथा कहा कि आयुक्त (उपनिवेशीकरण) द्वारा पारित आदेश तथा विद्वान राजस्व बोर्ड द्वारा पुष्टि किए गए आदेश पूर्णतः न्यायोचित हैं तथा इनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि विद्वान आयुक्त (उपनिवेशीकरण) ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किए गए भूमि आवंटन को रद्द करते समय 1975 के नियमों का सही ढंग से ध्यान रखा था। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को खारिज किया जाए। हालांकि, इस न्यायालय द्वारा उठाए गए स्पष्ट प्रश्न पर, विद्वान राज्य अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अनुलग्नक 2 के अनुसार भूमि की जोत के संबंध में इस तथ्य पर विवाद करने की स्थिति में नहीं हैं कि 13 बीघा और 9 बीघा गैर-जमा भूमि क्रमशः याचिकाकर्ताओं के पतियों के नाम पर दर्ज है।

13. मैंने बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है और दिनांक 24.10.1997 और 30.06.1999 के आदेशों सहित मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

14. याचिकाकर्ताओं के मामले में भूमि आवंटन की तिथि क्रमशः अगस्त, 1993 और दिसंबर, 1993 है, जो रिकॉर्ड पर रखे गए आवंटन आदेशों से स्पष्ट है। भूमि आवंटन के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता पर विचार करते समय, उन्हें 1975 के नियम 7 के तहत निर्धारित प्राथमिकता के अंतर्गत आने वाले 'भूमिहीन व्यक्ति' माना गया। हालांकि, नियम 22 (3) के तहत तहसीलदार द्वारा दायर एक आवेदन पर, याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए और उनके द्वारा जवाब दायर किया गया, जिस पर आयुक्त (उपनिवेशीकरण) द्वारा विचार किया गया और

याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किए गए भूमि आवंटन को रद्द करने के लिए दिनांक 24.10.1997 को आदेश पारित किए गए।

15. वर्तमान मामले में तथ्यों की बेहतर समझ के लिए, 1975 के नियमों के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार हैं:-

> नियम 2. व्याख्या.- (1) इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल कोई बात न हो-
>
> (i).....
> .
> .
> .
>
> (iii) भूमिहीन व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो- (i) राजस्थान का निवासी है; और (ii) पेशे से वास्तविक कृषक या वास्तविक कृषि मजदूर है, जिसकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है और जिसके पास भारत में कहीं भी कोई भूमि नहीं है या 25 बीघा से कम भूमि है, लेकिन इसमें अस्थायी खेती पट्टा धारक शामिल नहीं है:
>
> बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो 1 अप्रैल, 1955 से पहले से लगातार किसी गांव में केवल बारानी भूमि पर कब्जा रखता हो, वह उस भूमि को सरकार के पक्ष में निःशुल्क समर्पित कर सकता है और ऐसे समर्पण को स्वीकार करने पर उसे भी उस गांव का भूमिहीन व्यक्ति माना जाएगा।
>
> बशर्ते कि उप-विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित मुक्त किए गए 'सागरी' को भी उस गांव का भूमिहीन व्यक्ति माना जाएगा।
>
> स्पष्टीकरण- इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए "सागरी" का तात्पर्य बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (केन्द्रीय अधिनियम 19, 1976) में परिभाषित बंधुआ मजदूर से है।
>
> बशर्ते कि निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को भूमिहीन व्यक्ति नहीं माना जाएगा, अर्थात्:-
>
> (क) सरकार या किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठान या संस्था के आकस्मिक या कार्यभारित कर्मचारी के अलावा कोई अन्य कर्मचारी, उसकी पत्नी और उस पर आश्रित बच्चे।
>
> (ख) ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार या सांविधिक निकायों को हस्तांतरित या अधिग्रहित भूमि के अलावा अपने पास मौजूद या उसे आवंटित भूमि का पूरा या आंशिक हिस्सा बेच दिया है या अन्यथा हस्तांतरित कर दिया है और इस प्रकार अपनी जोत के आकार को कम करके भूमिहीन व्यक्ति बन गया है।

7. आवंटन हेतु प्राथमिकताएं.- (1) इन नियमों के अंतर्गत सरकारी भूमि के आवंटन हेतु प्राथमिकताएं निम्नलिखित क्रम में होंगी:-

(क) अस्थायी खेती पट्टाधारक; बशर्ते कि जिस जिले में आवंटित की जाने वाली भूमि स्थित है, वहां के अस्थायी खेती पट्टाधारक को आवंटन में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) उसी गांव का भूमिहीन व्यक्ति;

(ग) उसी उपनिवेशन तहसील/राजस्व तहसील का भूमिहीन व्यक्ति;

(घ) उसी जिले का भूमिहीन व्यक्ति या राज्य सरकार की अंत्योदय योजना के तहत या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थी के रूप में, जिसने इंदिरा गांधी नहर के निर्माण में या इसके कमांड क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों में राज्य सरकार के वेतनभोगी मजदूर के रूप में दो साल तक काम किया हो, उसकी पहचान होने के बाद;

(ड़) कृषि स्नातक, भूतपूर्व सैनिक, इंदिरा गांधी नहर के एक्सपेरेटर और भाखड़ा भूमिहीन व्यक्ति उनके लिए आरक्षित क्षेत्रों के लिए;

(च) पड़ोसी जिले के भूमिहीन व्यक्ति।

(छ) खंड (एच) में उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर राजस्थान के किसी अन्य जिले के भूमिहीन व्यक्ति।

(ज) प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजना से आच्छादित क्षेत्र से संबंधित तहसीलों के उपनिवेशित भाग के भूमिहीन व्यक्ति।

(2) उपनियम (11) के प्रयोजनों के लिए भूमिहीन व्यक्ति उस गांव, तहसील या जिले का माना जाएगा जहां वह [पिछले पंद्रह वर्षों से] निवास कर रहा है:

परन्तु यह कि चरण-II में भूमि आवंटन के प्रयोजनार्थ, उन भूमिहीन व्यक्तियों की पारस्परिक प्राथमिकता, जो पात्र थे, तथा जिन्होंने नियम 10 और 11 के अन्तर्गत चरण-I में भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया था और आवंटन प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत थे, किन्तु जिन्हें चरण-I में भूमि की अनुपलब्धता के कारण भूमि आवंटित नहीं की जा सकी थी, की गणना उस तिथि से की जाएगी, जिस तिथि को उन्होंने चरण-I में भूमि आवंटन के लिए मूलतः आवेदन किया था।

नियम 22. उपनिवेशन अधिकारियों की शक्तियां.-
(1)....
(2).…

(3) उपनिवेशन आयुक्त को इन नियमों के अन्तर्गत आवंटन प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी भी आवंटन को स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यक्ति के आवेदन पर रद्द करने की शक्तियां होंगी, यदि आवंटन नियमों के विरुद्ध किया गया हो:

बशर्ते कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल आदेश उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

16. उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आयुक्त (उपनिवेशीकरण) के समक्ष नियम 1975 के नियम 22 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर मामले की जांच की गई तथा दिनांक 24.10.1997 को आदेश पारित किया गया। यह तथ्य कि नियम 7 का प्रावधान 15.07.1993 को क़ानून की किताब से हटा दिया गया था, विवादित नहीं है, इसलिए, जिस तारीख को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में भूमि का आवंटन किया गया था (अर्थात क्रमशः अगस्त, 1993 और दिसंबर, 1993 में), नियम 7 के प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं था जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, विद्वान आयुक्त (उपनिवेशीकरण) ने इस पर विचार करते समय एक त्रुटि की थी।

17. यह न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि 'भूमिहीन व्यक्ति' की परिभाषा के अनुसार, भूमि रखने या न रखने की पात्रता केवल उस व्यक्ति की है जिसने संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन किया है और इसलिए, सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए, 'भूमिहीन व्यक्ति' श्रेणी के तहत भूमि के अनुदान के लिए आवेदन पर विचार करते समय किसी व्यक्ति या आवेदक की भूमि जोत को ध्यान में रखना आवश्यक था। इस प्रकार, विद्वान आयुक्त (उपनिवेशीकरण) ने याचिकाकर्ताओं के पतियों की भूमि जोत को आवेदक/याचिकाकर्ताओं के प्रति गलत माना है।

18. आयुक्त (उपनिवेशीकरण), बीकानेर ने भी वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के पतियों द्वारा प्राप्त भूमि की गणना में सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए त्रुटि की थी। चूंकि कानून में भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में भूमि के स्वामित्व पर विचार करते समय पति और पत्नी की भूमि को एक साथ रखने का प्रावधान नहीं है, इसलिए प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के पतियों की भूमि पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे, याचिकाकर्ताओं की भूमि की जोत की गणना करते समय सीलिंग अधिनियम के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं थे। इस प्रकार, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, आयुक्त (उपनिवेशीकरण) ने याचिकाकर्ताओं को 1975 के नियम 2(1)(xiii) के अनुसार 'भूमिहीन व्यक्ति' की श्रेणी में न आने वाला मानते हुए त्रुटि की थी।

19. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, याचिकाकर्ताओं को 1975 के नियमों के तहत भूमि आवंटन के लिए 'भूमिहीन व्यक्ति' की श्रेणी में माना गया था और उन्हें 1975 के नियमों के नियम 7 के अनुसार प्राथमिकता दी गई थी।

20. विद्वान राजस्व बोर्ड ने भी आयुक्त (उपनिवेशीकरण) के आदेश की पुष्टि करते हुए दिनांक 30.06.1999 को उसी आधार पर आदेश पारित करके त्रुटि की थी। विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में भूमि आवंटन के समय प्रचलित नियमों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा। इस प्रकार, दिनांक 24.10.1997 और 30.06.1999 के आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं हैं।

21. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, रिट याचिकाएं स्वीकार किए जाने योग्य हैं और उन्हें अनुमति दी जाती है। आयुक्त (उपनिवेशीकरण), बीकानेर द्वारा पारित दिनांक 24.10.1997 के आदेश और राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित दिनांक 30.06.1999 के आदेश रद्द किए जाते हैं और अपास्त किए जाते हैं। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किए गए भूमि आवंटन को बरकरार रखा जाता है।

22. इस आदेश की फोटोकॉपी संलग्न फाइल में रखी जाए।

(विनीत कुमार माथुर),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।